

फा. सं. 4/2/2015 -आईआर

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

\*\*\*\*

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

दिनांक : १५ सितम्बर, 2015

**विषय : केन्द्रीय सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति।**


भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (अधिनियम) के अंतर्गत अधिनियम में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने एवं उसे सौंपे गए कार्यों के निष्पादन हेतु केन्द्रीय सूचना आयोग नाम से जात एक निकाय का गठन किया है। यह नई दिल्ली में स्थित है। आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त एवं दस से अनधिक सूचना आयुक्त होंगे। केन्द्रीय सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त की शक्तियां एवं दायित्व सूचना का अधिकार अधिनियम के अनुसार हैं।

2. आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त और अधिक सूचना आयुक्तों की नियुक्ति किए जाने का प्रस्ताव है। अधिनियम में प्रावधान हैं कि मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त विधि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, समाज सेवा, प्रबंध, पत्रकारिता, जनसंपर्क माध्यम या प्रशासन तथा शासन का व्यापक ज्ञान और अनुभव रखने वाले जनजीवन में प्रख्यात व्यक्ति होगा।

3. इसके अतिरिक्त, मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त यथास्थिति संसद का सदस्य या किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के विधान मण्डल का सदस्य नहीं होगा या कोई अन्य लाभ का पद धारित नहीं करेगा या किसी राजनैतिक दल से संबद्ध नहीं होगा अथवा कोई कारोबार या कोई वृत्ति नहीं करेगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्ति से पूर्व संबंधित व्यक्ति को लाभ का पद, कोई कारोबार या व्यापार छोड़ना/बंद करना होगा।

4. मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त उस तारीख से, जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है पांच वर्ष की अवधि के लिए या पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, पद धारण करेगा। मुख्य सूचना आयुक्त को वेतन एवं भत्ते मुख्य चुनाव आयुक्त के समान देय होंगे बशर्ते कि इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उसके द्वारा लिए गए पेंशन/सेवानिवृत्ति लाभ, यदि कोई हों, को समायोजित कर लिया जाएगा।

5. मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्ति के लिए मापदंड पूरा करने वाले इच्छुक व्यक्ति अपने विवरण संलग्न प्रपत्र में अवर सचिव (आरटीआई), कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली को डाक द्वारा या ई-मेल [usrti-dopt@nic.in](mailto:usrti-dopt@nic.in) के माध्यम से 12 अक्टूबर, 2015 तक भेज सकते हैं। राज्य/केन्द्रीय सरकार या अन्य किसी संगठन के अधीन सेवारत व्यक्ति अपने विवरण उचित माध्यम से भिजवाएं (प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग/राज्य/संघ शासित क्षेत्र) यदि निर्धारित तारीख से पहले आवेदन की अग्रिम प्रति भेजी जाती है तो उचित माध्यम से आवेदन यथाशीघ्र भेजे जाने चाहिए ताकि अगली कार्यवाही हेतु उन पर विचार किया जा सके।



(जी.एस. अरोड़ा)

उप सचिव (आईआर)

दूरभाष : 123092755



केन्द्रीय सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों के पद पर विचारार्थ भेजे जाने वाले विवरण संबंधी प्रपत्र

कृपया नवीनतम  
पासपोर्ट आकार  
का फोटो  
चिपकाएं

1. नाम :
2. जन्म तिथि :
3. वर्तमान पता :
4. संपर्क संख्या :
  - क) दूरभाष (एसटीडी कोड सहित) :
  - ख) मोबाइल :
  - ग) फैक्स :
5. ई-मेल पता :
6. शैक्षिक अर्हताएं :
7. विशेषज्ञता क्षेत्र :
8. वर्तमान व्यवसाय :
9. उपलब्धियां/कार्य अनुभव (अनुबंध के अनुसार) :
10. क्या मुख्य सूचना आयुक्त/सूचना आयुक्त या दोनों पदों के लिए आवेदन कर रहे हैं :

तिथि :

स्थान :

हस्ताक्षर :

नाम :



मुख्य सूचना आयुक्त (सीआईसी)/सूचना आयुक्त (आईसी) के पद हेतु आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की उपलब्धियों/कार्य अनुभव का विवरण

| क्र.सं. | पद | संगठन | अवधि<br>से तक |  | उपलब्धि/अनुभव का विवरण (संक्षेप में) |
|---------|----|-------|---------------|--|--------------------------------------|
| 1       |    |       |               |  |                                      |
| 2       |    |       |               |  |                                      |
| 3       |    |       |               |  |                                      |
| 4       |    |       |               |  |                                      |
| 5       |    |       |               |  |                                      |